

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार,

संख्या: प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

संख्या: दिनांक: 30/08/2022

सम्बद्धता सूची:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, कर्नाटी काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2022-23 हेतु त्रिमासा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/08/2022 संख्यक से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघातित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार, पाठ्यक्रम, परीक्षा समया दृष्टि सहित अन्य सटीक पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में शिमे गवर्नमेंट के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/08/2022 संख्यक द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित परीक्षा समया हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4434-SHRIMATI PHULEHRA SMARAK COLLEGE OF POLYTECHNIC

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0ए0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित परीक्षा समया	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए0आइ0ए0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमोंकी 1982 विनियमोंकी-2000, सेनेक्टर विनियमोंकी-2016 तथा समया-समया पर निर्गत सारनादेशों का अनुपालन करेगी तथा गुणक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों तक इ0सी0 पाठ्यक्रमों हेतु रु0 30,150,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों तक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु0 45000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों तक आर्यसो (टी) अधीन आर्यसो

पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0.22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्रछात्रा से ज्ञान किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर छात्रों द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जिन निर्धारण समिति द्वारा सन् 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस को सर्वोत्तम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित अंकों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सन्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिसिक्त/अधिसिक्त/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उपाध्य, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाध्य तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाध्य द्वारा बताने वाले विषयों, विधिसिक्त, अंशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए0आर0सी0टी0ई0पी0सी0आर0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इन संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई बात दायर किया जाता है तथा दायर बात के संबंध में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिनूति संसंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिनूति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सदन द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आर0सी0टी0ई0पी0सी0आर0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हीं प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत सर्वोत्तम आदर्श नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की त्रिविधसिक्त, पृष्ठ भूमि, स्टार, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लक्ष्य रणियी रखने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित सम्बन्धित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्धारण समिति के समस्त उपलब्ध कराने वाले अधिकार, भूमि, अर्थ, कमीषन, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य काम के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था को सम्बद्धता समाप्त करने जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, अर्थ, प्रयोगात्मक उपकरण एवं अन्य सज्जा, सज्जा ए0आर0सी0टी0ई0पी0सी0आर0 परिषद के मतानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।



(पञ्च(आर) खन्)

तदि

पूठे( - प्रविणपरिषद संखडाए2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:

प्रधानाचार्य/निदेशक, SHRIMATI PHULEHRA SMARAK COLLEGE OF POLYTECHNIC



(पञ्च(आर) खन्)

तदि

## कार्यालय

### सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद

#### उत्तर प्रदेश बखतऊ

संख्या: प्राविप/परिषद/सम्बद्धता/2023/12090001

बखतऊ, दिनांक: 12-09-2023

## कार्यालय तार

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वित्तिय सत्र 2023-24 हेतु पूर्व में संघीय डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० बखतऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में असात दिनांक 21-07-2023 एवं दिनांक 03-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति को बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था का प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० बखतऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु सिन्क्राजिटा भाषी के अधीन चरुनकाल एवं उसमें अंकित प्रवेश संख्या हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का नाम एवं कोड : 4484-SHRIMATI PHULEHRA SMARAK COLLEGE OF POLYTECHNIC

क्र.सं०	पठ्यक्रम का नाम	वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश संख्या	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	CIVIL ENGINEERING	100	100
2	ELECTRICAL ENGINEERING	100	100
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	100	100

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा अनुसंधान उच्च प्रवेश संख्या के लिए संख्या 311/18-2009/0/2022 दिनांक-1 दिनांक-18 सत्र 2023 द्वारा पूर्व में संघीय संसद संस्थाओं की ओर से विषय भारतीय प्रशासनिक प्रविधिक शिक्षा 2023-2023 में संघीय प्रशासन के अखिल निर्णय के अधीन संबद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा विधायित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मली काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के प्रवेश के अनुमोदित संस्थान में प्रवेश संख्याएं (अर्द्ध अंशक) सत्र उपरोक्त) अर्द्ध उपरोक्त) हैं।
- ✓ संस्था उत्तरा प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सत्र 1983 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद दिल्ली/राज्यी 1982, दिल्ली/राज्यी-2003, संसद विधायित्व-2018 तथा संसद-संसद का निर्णय भारतीयों का अनुसंधान करती तथा कुछ विधायित्व अर्द्ध द्वारा विधायित्व कुछ की उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तरांचल के अखिलियन द्वारा/राज्यी व राज्य के सम्बन्ध में संसद-संसद का प्रवेश द्वारा निर्णय विद्यमान है।

सर्वे शासनादेशक प्रभावी होंगे और अनुदान-कार्यकारी किया गया सम्बन्ध होगा। बीच-विचारात्मक समिति चुनाव वही वर्ष 2023-24 हेतु शीघ्र का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, जो बीच की सर्वोत्तम ढंग लागू होंगे।

- ✓ संस्था में अनुदान प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अनुदान कार्य को सौंपा दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को उत्तर प्रदेश पर निरन्तर शासनादेशक अनुदान निर्धारण एवं सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त होगा।
- ✓ संस्थाक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देश विधि-विधान अधिनियम-शासनादेशक निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, 2020, अनुदान प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बसाये गये विधान, विधियुक्त, आदेश, निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थाक का अधिकांश शासनादेशक निर्देश परिषद कार्यकारी कार्यपालक और इन्डिया गेट्टे दिवसी में अनुदान प्राप्त किया जाता है तो इन संस्था में अनुदान उपस्थितित संस्था का होता और निर्देशक को ही निर्देशों को कार्याकारी के लिए संस्था द्वारा प्रदानकारी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, अनुदान प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश यदि उन्हें वाद उत्पन्न किया जाता है तथा हाथ बंट के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी आदेश निर्देश किया जाता है तो अनुदान प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को जारी होगी।
- ✓ संस्थाओं को अनुदान प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए प्राथमिक प्रवेश परीक्षा हेतु अनुदानितित प्रवेश होने के पूर्व अधिकांश शासनादेशक निर्देश परिषद कार्यकारी कार्यपालक और इन्डिया गेट्टे दिवसी में अनुदान प्राप्त कर परिषद कार्यपालक को उपस्थित कराया गया सम्बन्ध उन्हें प्रवेश की अनुमति प्राप्त नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु अनुदान-सम्बन्ध पर निरन्तर सर्वोत्तम उत्तम विधानों का अनुदान कर बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राथमिक शिक्षा के सूचनाक पट्टेज पर संस्था की सम्बन्ध सूचना एवं संस्था की प्रतिवृत्तित सूचित भूमि, स्थान, मातृ-संस्था, उपकरण, वाहन किया जाने वाला दस्तावेज, प्रमाणित दस्तावेज आदि का विवरण उपस्थित कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-वर्षिकता हेतु अनुदान प्राप्तकर उपस्थित करने के साथ शीघ्र शीघ्र के सम्बन्ध में उत्तम उत्तम सम्बन्ध सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था वह सुनिश्चित को है कि संस्था में शासनादेशकितित अनुदान को बसाये जाने हेतु निर्देशक समिति के उत्तम उपस्थित करने गये अभिलेख भूमि-अवकाश, प्राथमिक, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य अनुदान के संस्थाक में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपस्थित का प्रमाण किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उत्तम संस्था की सम्बन्धित उत्तम किन्हीं कार्य को कार्याकारी की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (अभियुक्त और उपस्थितित, संस्थाओं का सम्बन्ध किन्हीं उत्तम, विधियुक्त, 2020 के अधिनियमनुसार परिषद की आस पर अपने सम्बन्धित, कार्यकारी और कार्यकारी का परिषद को अधिकांश के उत्तम के लिए परिषद के अधिकांश में होगी।
- ✓ संस्था को अपना शासनादेशक निर्देशक के द्वारा यदि संस्था में भूमि, कार्य, उपकरण, उपकरण एवं अन्य उत्तम-सम्बन्ध 52(1)(b) (2)(b) (3)(b) परिषद के शासनादेशक उपस्थित नहीं करा जाता है तो संस्था की सम्बन्धित उत्तम कर ही जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित भूमि का अनुदान न किन्हीं कार्य प्रमाण नहीं का उत्तम किन्हीं कार्य की विधि में किन्हीं अनुदान-सम्बन्धित कार्यकारी की जायेगी।

  
(अनुराग कुमार मिश्रा)

सचिव

पूरसं०- प्राथमिक/परिषद-सम्बन्धित/2023/12090002-12091209

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिवृत्तित

पद्यानादेशक: निर्देशक, SHRIMATI PHULEHRA SMARAK COLLEGE OF POLYTECHNIC



(मज्जित कुलार संस्था)

सचिव

**कर्मोत्तर**

**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ**

संख्या: प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

**सम्बोधित व्यक्त:**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, कर्मादेशी काउन्सिल ऑफ इंजिनियर्स, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विद्यमान स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, (30/90) लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 08/08/2021 को परिषद कर्मोत्तर में सम्बद्धता समिति की बैठक संवत्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता एवं से संघासित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश समतल शृद्धि सहित अन्य मशी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विवेक वने निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30/90 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु तिलनासित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश समतल हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4494-SHRIMATI PHULEHRA SMARAK COLLEGE OF POLYTECHNIC, KAMTAILA, RASRA, BALLIA			
क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एडमिशन/सीटिंग/पीसी/आई/द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश समतल	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश समतल
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एडमिशन/सीटिंग/पीसी/आई/द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1983 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनकारी 1982, सेमेस्टर विनियमनकारी 2018 तथा अन्य विनियम विनियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,50,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कर्मादेशी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कर्मादेशी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०

22500.00/- प्रतिवर्ष धुलक ही बल्केक काराखाना से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त काराखानाओं से धुलक के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाये वाले शासनदेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। नीचे निर्धारण समिति द्वारा यदि सन 2021-22 हेतु नीत का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो नीत को तत्कालपर्यन्त लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छठे को हो प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निरीत शासनदेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता धुलक उभार करना होगा।
- ✓ संस्था को एमआईटीआईटीआईपीआईआई से जगानो कर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बताने वाले विधिविषयों,अधिनियमों,शासनदेशों,निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उपाय, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाय तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाय द्वारा बताने वाले नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ द्विपक्षीय इन शर्तोंमें पाठ्यक्रम की संस्था यदि भी नहीं, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशावली एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई कर देकर किया जाता है तथा इसके कर के संबंध में भी, सम्बन्धित द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था का करनी होगी।
- ✓ द्विपक्षीय इन शर्तोंमें पाठ्यक्रम संघालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बताने वाले लक्ष्य के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीआईआईआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्वय उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश), अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत तदनुसार आठवां नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने बैकड्रॉप पर संस्था की समस्त सृष्टियाँ जैसे संस्था की ऐडमिनिस्ट्रेशन भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, खर्च किया जाने वाला धुलक, आवासन धुलक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण,अधिक्षण हेतु उपयुक्त काराखाना उपलब्ध कराने के साथ उचित रखने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित स्थापित पाठ्यक्रम का चलाने करने हेतु निर्धारण समिति के समस्त उपलब्ध बताने वाले अभिलेख, भूमि,भवन, कर्मियों, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण द्वारा यदि संस्था में भूमि, भवन प्रयोगागारा, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एमआईटीआईटीआईपीआईआई परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता



समाप्त कर दी जाएगी।

- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किए जाते अथवा शर्तों का उल्लंघन किए जाते हों दिशति में निम्नांकित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार शीनकर)

सचिव

पु0सं0: प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3538-4909

दिनांक: 09/08/2021

प्राशिप/परिषद

प्रधानाचार्य/निदेशक (SHRIMATI) PHULEHRA SMARAK COLLEGE OF POLYTECHNIC, KAMTAILA,  
RASRA, BALLIA



(सुनील कुमार शीनकर)

सचिव